न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 27 / 2024

धनी देवी पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी ततारसर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1.	प्रार्थी धन्नी देवी	– – प्रार्थीया
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–04.10.2024

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की निवासी है। यह कि प्रार्थीया के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 32 जी०जी०, पटवार हल्का ततारसर, खाता संख्या 15 (नया), खाता संख्या 13 (पुराना), के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 11, 12, 13/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 व 25 कुल 3.1620 हैक्टेयर नहरी एवं मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 1 ता 4 की कुल 1.0120 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार से उक्त दोनों मुरब्बाजात में कुल 4.1740 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 है, जिसमें से प्रार्थीया के नाम से 1/8 हिस्सा दर्ज है, जिसकी कि प्रार्थीया मालिक काबिज है, जिसका इंतकाल नम्बर 167 दिनांक 06–01–2007 को दर्ज हो चुका है। नकल जमाबंदी एवं नामांतरण संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थीया का वास्तविक नाम धनी देवी पुत्री लाधु राम है। प्रार्थीया के नाम से आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड जारी है जिसमें भी प्रार्थीया का नाम धनी देवी ही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में लिपकीय भूलवश प्रार्थीया का नाम धापादेवी दर्ज हो गया है, जो कि गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में धापा देवी दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजो में उसका [illegible] देवी दर्ज होने के कारण प्रार्थीया अपनी सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर [illegible] रहा [illegible] क्योंकि राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो में नाम का मिलान नहीं [illegible] आरित हो रही है। उक्त दोनों नाम धापा देवी व धनी देवी एक ही व्यक्ति के है, अलग–अलग व्यक्ति के नहीं है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत ततारसर के द्वारा भी अपना प्र[illegible] पत्र जारी किया हुआ है जो कि संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित चक 32 जी०जी० के खाता संख्या 15 (नया), खाता संख्या 13 (पुराना) में प्रार्थीया का नाम धापा देवी पुत्री लाधुराम को दुरूस्त कर धनी देवी पुत्री लाधु राम दर्ज किया जाकर इसी नाम से खातेदारी घोषित की जाने के ओदश फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2025.02.25 13:31:58 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]कारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 3973 दिनांक 12.07.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार उक्त विषयक के सम्बन्ध में उपतहसीलदार चूनावढ से जांच रिपोर्ट ली गई । मुताबिक जांच रिपोर्ट उपतहसीलदार चूनावढ आराजी चक 32 जीजी खाता संख्या 15 संयुक्त खाता कुल 4.174 हैक. नहरी में से 0.5217 हैक. रकबा धापा देवी पुत्री लाधूराम जाति मेघवाल साकिन ततारसर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नामा० संख्या 167 दिनांक 06.01.2007 किस्म विरासतन धापादेवी पुत्री लाधूराम के नाम वारिसनामा के आधार पर नामान्तरणकरण दर्ज हुआ। सरपंच ग्राम पंचायत ततारसर द्वारा जारी वारिसनामा दिनांक 17.07.2006 में धापा देवी दर्शाया गया है पटवारी द्वारा रिकार्ड में अंकन करते समय सहवन से कोई त्रुटि नहीं हुई है। यह है कि पटवारी हलका अनुसार मौका जांच करने पर धनीदेवी व धापादेवी एक ही व्यक्ति के नाम है । समस्त दस्तावेज व आधार कार्ड व राशन कार्ड आदि में धनीदेवी का नाम पाया गया। प्रार्थीया के शपथ पत्र व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया धापादेवी की जगह पर धनी देवी का नाम किया जाना प्रस्तावित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत ततारसर द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र, मतदाता पहचायन पत्र, प्रार्थीया धनी देवी पत्नी श्री धना मराम द्वारा प्रस्तुत स्वयं का हल्फनामा तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का नाम जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के चक 32 जी०जी०, पटवार हल्का ततारसर, भू.अ.नि. चूनावढ़ तहसीलव जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 15/13 में प्रार्थीया का नाम धापा देवी पुत्री लाधुराम को दुरूस्त कर धनी देवी पुत्री लाधु राम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2025.02.25 13:31:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner